



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 666]
No. 666]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1995/अग्रहायण 8, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 1995/AGRAHAYANA 8, 1917

विधि, न्याय और कंपनी कार्य विभाग
[विधि कार्य विभाग]

विधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1995

क. आ. 942 [अ]—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 [1987 का 39] की धारा 1 की उप-धारा [3] द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 20 नवम्बर, 1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय III के उपबंध राजस्थान राज्य में भी प्रवृत्त होंगे।

[फ. सं. 6 [1] [20] /95-नलसा]
डा. वी. के. अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1995

S.O. 942(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Legal Service Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government hereby appoints the 20th November, 1995 as the date on which the provisions of Chapter III of the said Act shall also come into force in the State of Rajasthan.

[F. No. 6(1)(2)/95-NALSA]
DR. V. K. AGARWAL, Addl. Secy.

2859 GI/95

